न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 90/2019

निर्णय दिनांक :– 3.1.2020

रूपाराम उर्फ रूघाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी घुमान्दा तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. श्री मगनाथ सिद्व अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत तरमीम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 23.12.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत ख.नं. 219,230,234 कुल तादादी 14.1134 वाके रोही घुमान्दा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। यह भूमि प्रार्थी को पिता से विरासत में मिली है। विरासतन ईन्तकाल दर्ज करते समय गलती से तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम रूघाराम अकिंत कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम रूपाराम पुत्र दीपाराम है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, मतदाता सूची पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड तथा बैंक पासबुक में नाम रूपाराम पुत्र दीपाराम अकिंत है। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम रूघाराम के स्थान पर रूपाराम दर्ज करने हेतु तहसीलदार साहब को कई बार निवेदन किया परन्तु दिनांक 18.12.2019 को नाम शुद्व करने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया। अतः

Saini
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड के खाता सं. नया 128 के ख.नं. 219,230,234 कुल तादादी 14.1134 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ में प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र दीपाराम शुद्धिकरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रूघाराम के स्थान पर रूपाराम शुद्व किया जाना उचित बताया गया है। रूघाराम व रूपाराम एक ही व्यक्ति है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ग्राम पंचायत बच्छरारा का प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2019, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशनकार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में रूपाराम पुत्र दीपाराम अकिंत है। तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खेत ख.नं. 219,230,234 कुल तादादी 14.1134 वाके रोही घुमान्दा तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रूघाराम पुत्र दीपाराम के स्थान पर रूपाराम पुत्र दीपाराम शुद्व अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 14:55:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: